REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236880 CG-DL-E-28062022-236880

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2777]नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/आषाढ़ 7, 1944No. 2777]NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

का.आ. 2917(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
26	8	असम राज्य में करीमगंज के निकट रारा-37 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाथरकंडी, चालुकाबाड़ी, अंबासा, तेलियामुरा, अगरतला, उदयपुर, सबरूम को जोड़ने वाला और त्रिपुरा राज्य में उदयपुर के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर काकराबान, सोनामुरा को जोड़ने वाले तथा श्रीमंतपुर (भारत/बंगलादेश सीमा

चेकपोस्ट पर स	ामाप्त होने वाले	स्पर सहित	भारत/बंगलादेश व	सीमा पर समाप्त
होने वाला राजग	मार्ग			

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2773(अ). दिनांकित 16 जुन. 2022 द्वारा किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गप्ता. निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2022

S.O. 2917(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 26 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
26	8	The highway starting from its junction with NH-37 near Karimganj in the State of Assam connecting Patharkandi, Churaibari, Ambasa, Teliamura, Agartala, Udaipur, Sabrum and terminating at Indo/Bangladesh Border <i>including spur starting from its junction</i> <i>near Udaipur connecting Kakraban, Sonamura and terminating at</i> <i>Srimantpur (Indo/Bangladesh border checkpost)</i> in the State of Tripura.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. S.O. 2773(E), dated 16th June, 2022.

[F.No. NH-14012/8/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

2